

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
लक्ष्मीनारायण पुत्र पृथ्वीराज जाट वनाग तहसीलदार निम्बाहेडा
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र गु.न. 147 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
23.05.2024	<p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुये, उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 356 की आराजी नंबर 1468/452 शा.न. 453,454 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1469/706 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 151 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 152 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 156 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1561/250 रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

